



राजस्थान सरकार  
मूल वाद में डिक्री

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजिलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)**  
**पीठसीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड़ आरपी0एस0**

राज्य प्रकरण संख्या-218/2002 (पुराना)  
52/2022(नया)

वायव्य तारीख 23.11.2002(पुराना)  
17.08.2022(नया)

अनवागन

01 गोरोनाथ पिता रामनाथ जाति नाथ उग्र वायस्क निवासी विजिलियां खुर्द तहसील विजिलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)  
.....गादी

बनाम

- 01 रामनाथ पिता नन्दनाथ जाति नाथ वायस्क निवासी विजिलियां खुर्द तहसील विजिलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 02 मोहनराथ पिता नन्दनाथ जाति नाथ वायस्क निवासी विजिलियां खुर्द तहसील विजिलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 21 श्रीमति बन्दा देवी पति मोहननाथ जाति नाथ उग्र वायस्क निवासी विजिलियां खुर्द तहसील विजिलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 22 पिन्दू पिता मोहननाथ जाति नाथ उग्र वायस्क निवासी विजिलियां खुर्द तहसील विजिलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 23 बटुल पिता मोहननाथ जाति नाथ उग्र वायस्क निवासी विजिलियां खुर्द तहसील विजिलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 03 काननाथ पिता नन्दा नाथ जाति नाथ वायस्क निवासी विजिलियां खुर्द तहसील विजिलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 04 मुयारी देवा नन्दा नाथ जाति नाथ वायस्क निवासी विजिलियां खुर्द तहसील विजिलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 05 मुअनोप वार्ड देवा देवीनाथ जाति नाथ वायस्क निवासी विजिलियां खुर्द तहसील विजिलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 06 उजानाथ पिता देवीनाथ जाति नाथ वायस्क निवासी विजिलियां खुर्द तहसील विजिलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 07 भगनी लाल पिता देवीनाथ जाति नाथ वायस्क निवासी विजिलियां खुर्द तहसील विजिलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 08 साति पुत्री देवीनाथ जाति नाथ वायस्क निवासी विजिलियां खुर्द तहसील विजिलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 09 राजस्थान राज्य जलिये भूमिधारी तहसीलदार विजिलिया।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री निर्मल कुमार जोशी, जगदीश धाकड़ - अधिवक्ता वादी  
2. श्री निरवारीलाल आचार्य - अधिवक्ता प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

निर्णय दिनांक : 02 / 04 / 2025  
डिक्री दिनांक : 02 / 04 / 2025

याह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसल कर्तई रूपरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय विजिलियां वहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री निर्मल कुमार जोशी को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निर्माकित भूमि उनके नाम के आगे अकित खातेदारगन के नाम गाम विजिलियां खुर्द पटवार हुल्का विजिलियां खुर्द के राजस्व अलिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री मूर्तिव की गई। साथ ही विपक्षीगणों को निर्देशित किया जाता है कि बटवाड़े परवात वादी की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करे एवं किन्सी प्रकार की दखलबंदजी ना करें। ना किन्सी से कचबे। वादी-प्रतिवादीगण शांतिपूर्वक अपनी-अपनी भूमि उपयोग उपभोग व काश्त करें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करें।

लगानार पत्र संख्या 02 पर



उप खण्ड अधिकारी  
विजिलियां जिला-भीलवाड़ा

क्र.सं.	खातिदार का नाम	ग्राम व पट्टदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर में)
01	01. गणेशनाथ पिता रामनाथ जाति नाथ सा. देह खातेदार	विजौलियां खुर्द 846/2 पट्टदार <i>gpr</i> हल्का विजौलियां	847/1 <del>846</del> /2 842/2 841/1 1198/1	0.0296 0.0162 0.0189 0.1241 0.1322
	योग	खसरे 05	0.3210	
02	01. कन्हैयालाल पुत्र नन्दनाथ हिस्सा 1/4 जाति नाथ सा. देह खातेदार 02. चन्दा देवी पति मोहननाथ हिस्सा 1/12 जाति नाथ सा. देह खातेदार 03. प्यारी पति स्व. नन्दनाथ हिस्सा 1/4 जाति नाथ सा. देह खातेदार 04. पिटूनाथ पुत्र मोहननाथ हिस्सा 1/12 जाति नाथ सा. देह खातेदार 05. राहुलनाथ पुत्र मोहननाथ हिस्सा 1/12 जाति नाथ सा. देह खातेदार 06. शम्भूनाथ पुत्र नन्दनाथ हिस्सा 1/4 जाति नाथ सा. देह खातेदार	विजौलियां खुर्द पट्टदार हल्का विजौलियां खुर्द	847/2 846/1 842/1 841/2 1198/2	0.0594 0.0324 0.0378 0.2482 0.2644
	योग	खसरे 05	0.6422	
03	01. गणेशनाथ पिता रामनाथ हिस्सा 1/3 जाति नाथ 02. कन्हैयालाल पुत्र नन्दनाथ हिस्सा 1/6 जाति नाथ 03. चन्दा देवी पति मोहननाथ हिस्सा 1/18 जाति नाथ 04. प्यारी पति स्व. नन्दनाथ हिस्सा 1/6 जाति नाथ 05. पिटूनाथ पुत्र मोहननाथ हिस्सा 1/18 जाति नाथ 06. राहुलनाथ पुत्र मोहननाथ हिस्सा 1/18 जाति नाथ 07. शम्भूनाथ पुत्र नन्दनाथ हिस्सा 1/6 जाति नाथ	विजौलियां खुर्द पट्टदार हल्का विजौलियां खुर्द	845	0.0486
	योग	खसरा 01	0.0486	

नीज ..... Nil ..... मुबलिंग ..... Nil ..... बाबत ..... Nil ..... खर्चा इस मुकदमें के भय सूद व शहर ..... Nil ..... फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वस्तुलयावी तक ..... Nil ..... का अदा करे।

वशवद भेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02. माह श्रावण वर्ष 2025 को जारी किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्ट्याम्प 100 रुपये का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 02/08/2025 को मुर्तिव की गई।

(उज्जित सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी विजौलियां



तनागार पेज संख्या 03 पर



राजस्थान सरकार

**राज्यालय उपखण्ड अधिकारी विजीलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)**

पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड़ आर0ए0एस0  
दायर तारीख 23.11.2002(पुराना)  
संख्या:-218/2002 (पुराना)

52/2022(नया)

अनयाग

17.08.2022(नया)

श्रीमानाथ पिता रामनाथ जाति नाथ उग्र वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)  
.....वादी

बनाम

- 1 शम्भूनाथ पिता नन्दानाथ जाति नाथ वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2 मोहननाथ पिता नन्दानाथ जाति नाथ वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3 श्रीमति चन्दा देवी पतिन मोहननाथ जाति नाथ उग्र वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4 शैलबाळा (राज0)
- 5 22 हिन्दू पिता मोहननाथ जाति नाथ उग्र वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 6 23 राठुन पिता मोहननाथ जाति नाथ उग्र वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 7 24 काननाथ पिता नन्दा नाथ जाति नाथ वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 8 04 मुयासी देवा नन्दा नाथ जाति नाथ वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 9 05 मु अनाप वाई देवा देवीनाथ जाति नाथ वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 10 06 मु अनाप वाई देवा देवीनाथ जाति नाथ वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 11 07 उकारनाथ पिता देवीनाथ जाति नाथ वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 12 07 भवानी लाल पिता देवीनाथ जाति नाथ वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 13 08 शांति पुत्री देवीनाथ जाति नाथ वयस्क निवासी विजीलियां खुर्द तहसील विजीलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 14 09 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार विजीलिया।

.....प्रतिवादीगण

- उपस्थित :- 1. श्री निर्मल कुमार जोशी, जगदीश धाकड़ - अधिवक्ता वादी  
2. श्री गिन्धारीलाल आचार्य - अधिवक्ता प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम**

:- अन्तिम डिक्री निर्णय :-  
दिनांक :- 02 /04/2025

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई दिनांक 21/02/2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुई कि ग्राम विजीलियां खुर्द पटवार हल्का विजीलियां खुर्द भूअभि.नि.क्षेत्र विजीलियां खुर्द तहसील विजीलियां कला के वर्तमान खाता संख्या 723 में अंकित खसरा नम्बर नम्बर 1198 क्षेत्रफल 0.39833 हैक्टेयर किस्म बंजड़,खसरा नम्बर 841 क्षेत्रफल 0.3723 हैक्टेयर किस्म जाय द्वितीय, खसरा नम्बर 842 क्षेत्रफल 0.0567 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 845 क्षेत्रफल 0.0486 हैक्टेयर किस्म गेयुआवा, खसरा नम्बर 846 क्षेत्रफल 0.0486 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 847 क्षेत्रफल 0.0890 हैक्टेयर किस्म बाराणी प्रथम, कुल खसरे 06 क्षेत्रफल 1.0118 हैक्टेयर भूमि पर वादी नगेशनाथ पिता रामनाथ जाति नाथ निवासी विजीलियां खुर्द

लगानार पेज संख्या 02 पर



उप खण्ड अधिकारी  
विजीलियां जिला-भीलवाड़ा

पंज संख्या 02

श्री का कुल हिस्सा 1/3 का पृथक से विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जायें। श्री का कुल हिस्सा की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार विजौलिया से लिया गया। तहसीलदार जालीक डिकी ने अपने पत्रांक/कमांक/राजस्व/2025/477 दिनांक 20.03.2025 से प्राथमिक डिकी विजौलिया ने अपने पत्रांक/कमांक/राजस्व/2025/477 दिनांक 20.03.2025 से प्राथमिक डिकी की पालना मौका पर्चा, नक्शा ड्रेस दो प्रति, जमाबन्दी नकल मय मौका पर्चा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव आधिवक्ता वादी को स्वीकार है। विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउडस के आधार पर वादी की उपस्थिति में तैयार करना प्र-अलिख निरीक्षक विजौलिया खुर्द ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान कारहतकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिकी किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अलिखेओ में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही विधीगणों को निर्देशित किया जाता है कि बटवाडे परयात् वादी की भूमि पर कब्जा कारहत नहीं करे लू किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें। ना किसी से करावें। वादी-प्रतिवादीगण शांतिपूर्वक अपनी-अपनी भूमि उपयोग उपभोग व कारहत करें।

क्र सं	खातेदार का नाम	ग्राम पटवार हस्ता	व खसरा नंबर	रकबा (हैक्टयर में)
01	गणेशनाथ पिता रामनाथ जाति नाथ सा. देह खातेदार	विजौलिया खुर्द 846/12 पटवार गुड हस्ता	847/1 <del>486/2</del> 842/2 841/1 1198/1	0.0296 0.0162 0.0189 0.1241 0.1322
	योग		खसरे 05	0.3210
02	01. कन्हैयालाल पुत्र नन्दनाथ हिस्सा 1/4 जाति नाथ सा. देह खातेदार 02. बन्दा देवी पति मोहननाथ हिस्सा 1/12 जाति नाथ सा. देह खातेदार 03. प्यारी पति स्व. नन्दनाथ हिस्सा 1/4 जाति नाथ सा. देह खातेदार 04. पिन्दूनाथ पुत्र मोहननाथ हिस्सा 1/12 जाति नाथ सा. देह खातेदार 05. यादुनाथ पुत्र मोहननाथ हिस्सा 1/12 जाति नाथ सा. देह खातेदार 06. शम्भूनाथ पुत्र नन्दनाथ हिस्सा 1/4 जाति नाथ सा. देह खातेदार	विजौलिया खुर्द पटवार हस्ता विजौलिया खुर्द	847/2 846/1 842/1 841/2 1198/2	0.0594 0.0324 0.0378 0.2482 0.2544
	योग		खसरे 05	0.6422
03	01. गणेशनाथ पिता रामनाथ हिस्सा 1/3 जाति नाथ 02. कन्हैयालाल पुत्र नन्दनाथ हिस्सा 1/6 जाति नाथ 03. बन्दा देवी पति मोहननाथ हिस्सा 1/18 जाति नाथ 04. प्यारी पति स्व. नन्दनाथ हिस्सा 1/6 जाति नाथ 05. पिन्दूनाथ पुत्र मोहननाथ हिस्सा 1/18 जाति नाथ 06. यादुनाथ पुत्र मोहननाथ हिस्सा 1/18 जाति नाथ 07. शम्भूनाथ पुत्र नन्दनाथ हिस्सा 1/6 जाति नाथ सागरा काररकार सा. देह खातेदार	विजौलिया खुर्द पटवार हस्ता विजौलिया खुर्द	845	0.0486
	योग		खसरा 01	0.0486

उक्तानुसार अन्तिम डिकी जारी की जावे। मकौल वादी निर्धारित नोन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिकी मूदित हो। खर्चा पक्षकारान रचयें अपना - अपना वहन करे।

(अजीत सिंह राठी)

उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया

निर्णय आज दिनांक 02/04/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठी)  
उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया



मीजान

(अजीत सिंह राठी)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां